तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	राजेन्द्र सिंह बनाम रतनलाल वगैरा दावा मु.नं. 191/2023	
	वादी ने प्रकरण में आज ही बहस अंतिम सुने जाने का निवेदन किया । जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमति प्रदान की । वकील प्रतिवादी की सहमति व प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ओर से राजीनामा पेश हो जाने के चलते प्रकरण में तनकियात कायम नही की जाकर बहस अंतिम सुनी गई । पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 03.01.2024 को पेश हो ।	
03.01.2024	पत्रावली पेश हुई । वकील उभय पक्षकारान उपस्थित । प्रकरण मे बहस वकुलाय उभय पक्षकारान पूर्व में सुनी जा चुकी है । प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार वादी का वाद बाबत् उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है । इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 03/01/24 दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:26:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
191 / 2023	2023 / 332	27.10.2023	03.01.2024

उनवान प्रकरण

1 राजेन्द्र सिंह पुत्र हरिसिंह उम्र 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

---वादी

बनाम

1. अन्तर कंवर पुत्री किशन सिंह उम्र 51 वर्ष
2. रतन कंवर पुत्री हरि सिंह उम्र 62 वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0।

3. पटवारी, पटवार हल्का आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना
4. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
5. उपतहसीलदार, अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

---प्रतिवादीगण

7. मदन सिंह पुत्र भगवत सिंह उम्र 70 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:26:08 IST
Reason: SelfAttested

---तरतीबी प्रतिवादी

03/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपस्थित :–

श्री विक्रम सिंह बांकावत एडवोकेट वादी अभिभाषक।

श्री निखिल शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 7 की ओर से

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या–6 की ओर से

वादपत्र बाबत ईस्तकार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

––:: निर्णय ::––

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 79 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 80 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 81 रकबा 4.70 कुल किता 3 कुल रकबा 4.79 है0 अवस्थित तन ग्राम आसपुरा पटवार हल्का आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0 के हिस्सा 1/2 पर वादी एवं हिस्सा 1/2 पर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं। उक्त वर्णित आराजी के हिस्सां 1/6 की खातेदारी वादी के नाम, हिस्सा 1/3 की खातेदारी प्रतिवादिया संख्या 1 के नाम, हिस्सा 1/6 की खातेदारी प्रतिवादिया संख्या 2 के नाम, हिस्सा 1/3 की खातेदारी तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड चली आ रही है। जबकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के मध्य हुये बाहमी बंटवारे अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि के हिस्सा /2 पर वादी व हिस्सा 1/2 पर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की पैतृक कृषि भूमि है, जिनको लेकर अर्सा 20 वर्ष पूर्व बाहमी बंटवारा हो गया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के हक में बराबर–बराबर हिस्सानुसार अपने [illegible] अधिकारों का त्याग करते हुये वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 को कब्जा काश्त [illegible] दिया था, जिसके बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ने उक्त वादग्रस्त भूमि में लाखों रूपये लगाकर विकसित व उपजाऊ बनाया हैं एवं उक्त वादग्रस्त भूमि पर उक्तानुसार पूर्णतया काबिज काश्त चले आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:26:08 IST
Reason: SelfAttested

03/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

रहे हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादिया संख्या 1 ता 2 का कोई कब्जा काश्त कभी नही रहा। इस प्रकार वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 उक्त वादग्रस्त भूमि के स्वयं को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर प्रतिवादिया संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खारिज करवाने के विधिक अधिकारी है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को काबिज खातेदार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वर्तमान मे जमीनों की बढ़ती कीमतों को देखकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के मन में बदयान्ति उत्पन्न हो गई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज करवाने से मना कर दिया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के कब्जा काश्त में व्यवधान कारित करते हुये मात्र नुमाईशी खातेदारी की आड में उक्त भूमियों को रहन रखकर ऋणधन प्राप्त करने व उक्त भूमि को अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा हो रही है तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के कब्जा काश्त में अवैधानिक तरीके से मजाहमत पैदा करने व बेदखल करने पर आमादा हो रही है। यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त बैजा एवं अवैध उद्देश्य में सफल हो गई तो वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना किसी भी सुरत में संभव नही होगा। इसलिये वादी, प्रतिवादीगण के उक्त बैजा एवं अवैध कृत्य के लिए उनको जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाने के विधिक अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को उनके उक्त बैजा एवं अवैध कृत्य के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वाद कारण अर्सा करीब 7 दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादी के नाम करवाने से मना करने, वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने पर आमादा होने, उक्त वादग्रस्त भूमि की अपने नाम दर्ज चले आ रही नुमाईशी राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में अन्य व्यक्तियों को अंतरित करने की एहलानियां धमकीयां देने पर वाद कारण उत्पन्न होकर वाद पत्र माननीय न्यायालय हाजा में पेश करना लाजमी हुआ है। वादी द्वारा प्रकरण में अनुतोष इस प्रकार चाहा है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 79 रकबा 0.[illegible], खसरा नम्बर 80 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 81 रकबा 4.70 कुल [illegible] स्थित तन ग्राम आसपुरा पटवार हल्का आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0 के हिस्सा 1/2 का वादी एवं हिस्सा 1/2 का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:26:08 IST
Reason: SelfAttested

07/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ करमाया जावे। एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने हेतु निवेदन किया।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादिया संख्या 1 ता 2 व 7 की ओर से वकील श्री निखिल शर्मा ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादिया संख्या 1 ता 2 ने जरिये वकील श्री निखिल शर्मा उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा पेश किया । राजीनामा तस्दीक करते हुये शामिल पत्रावली पेश किया । प्रतिवादी संख्या 6 की रजिस्टर्ड डाक से तामील होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के विरूद्व वकील वादी ने कोई कार्यवाही नही चाहते हुए इनके खिलाफ वाद प्रत्याहृत का प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के खिलाफ वादपत्र प्रत्याहृत करने की अनुमति प्रदान की गई । प्रकरण में वादी ने साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू–1 के रूप में स्वयं को, पीडब्ल्यू–2 धन्नाराम , पीडब्ल्यू–3 गुलाब के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये, जिनको शामिल पत्रावली किया। वकील वादी ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077, प्रतिवादिया संख्या 1 ता 2 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 79 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 80 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 81 रकबा 4.70 कुल किता 3 कुल रकबा 4.79 है0 अवस्थित तन ग्राम आसपुरा पटवार हल्का आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0 के हिस्सा 1/3 की खातेदारी प्रतिवादिया संख्या 1 व हिस्सा 1/6 की खातेदारी प्रतिवादिया संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड है । जिन्होंने वादी व प्रतिवादी संख्या 7 से राजीनामा करते हुये उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी हिस्सा 1/2 –1/2 वादी व प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज करने की सहमति देते हुये उक्त वादग्रस्त भूमि से अपना नाम हजफ करने की सहमति प्रदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:26:08 IST
Reason: SelfAttested

03/01/24

है । पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य एवं वादग्रस्त भूमि पैतृक होना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से साबित होता है । इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से वादी का का वादपत्र बरूये राजीनामा स्वीकार होने योग्य पाये जाने पर बरूये राजीनामा स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् ईस्तकार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा को बरूये राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 79 रकबा 0.06 है0. खसरा नम्बर 80 रकबा 0.03 है0. खसरा नम्बर 81 रकबा 4.70 कुल किता 3 कुल रकबा 4.79 है0 अवस्थित तन ग्राम आसपुरा पटवार हल्का आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0 के हिस्सा 1/2 का वादी एवं हिस्सा 1/2 का प्रतिवादी संख्या 7 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाता है । राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

03/01/24
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक **03.01.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/01/24
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:26:08 IST
Reason: SelfAttested